कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा मध्यप्रदेश

—:विविध—आदेश:—

क्रमांक......59......./ रीवा, दिनांक 03 / 03 / 2025
दो—1—1 / 2000

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के आदेश क्रमांक—301 confdl./2025/II-3-1/2025 जबलपुर दिनांक—09.02.2025 एवं 371 / confdl./2025/II-3-1/2025 जबलपुर दिनांक—18.02.2025 के अनुसार क्रमशः श्रीमती अश्विनी सिंह को पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा एवं श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा को प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश के नवीन पद पर पदस्थ किया गया है। साथ ही श्री देवदत्त प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा का स्थानांतरण जिला स्थापना राजगढ़ हो गया है एवं उक्त न्यायालय वर्तमान में रिक्त है एवं कार्यालय आदेश क्रमांक—108 / दो—22—29 / 2024 रीवा, दिनांक—13.02.2025 के अनुसार श्रीमती श्रृष्टि चौरसिया द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा दिनांक—10.02.2025 से 18.08.2025 तक कुल 180 दिवस के मातृत्व अवकाश पर हैं।

अतः मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा—15 व 21 (4) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक—336 / दो—1—1 / 2000 दिनांक—30 अप्रैल 2024 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा:—

1. सरल क्रमांक—32 के स्तम्भ क्रमांक—2 में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के चतुर्थ अति0 न्यायाधीश रीवा के नाम के आगे (रिक्त न्यायालय) लेख करते हुए एवं स्तम्भ क्रमांक—03 के सिविल खण्ड तथा स्तम्भ क्रमांक—4 की कंडिका क्रमांक—01 लगायत 05 को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।

2. सरल क्रमांक—34 के स्तम्भ क्रमांक—2 में द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के नाम के आगे (रिक्त न्यायालय) लेख करते हुए एवं स्तम्भ क्रमांक—03 के सिविल खण्ड तथा स्तम्भ क्रमांक—4 की कंडिका क्रमांक—01 एवं 02 को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।

3. सरल क्रमांक—41 के स्तम्भ क्रमांक—2 में नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा में स्तम्भ क्रमांक—4 के कंडिका क्रमांक—1 के पश्चात् कंडिका क्रमांक—2 निर्मित करते हुए निरंतर जोड़ा जाता है:—

2. "माह अगस्त एवं सितम्बर में रूपये 01 से 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहारवाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।"

4. सरल क्रमांक—30 एवं 31 के पश्चात् 31—अ निर्मित करते हुए निम्नानुसार इबारत जोड़ी जाती है:—

क्र.	न्यायालय का प्रकार	प्रादेशिक अधिकार	वादों का प्रकार
30	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील मनगवां का संपूर्ण क्षेत्र	1— प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण। 2— रूपये 05 लाख से अधिक और रूपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण।

			3– भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग–10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण। 4– रूपये दो सौ से अधिक एवं रूपये पांच सौ से अनाधिक मूल्य के लघुवाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे संबंधित निष्पादन एवं विविध प्रकरण। (धारा–9 द्वारा अधिकृत) 5– म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीलें।
31–अ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुढ़/रायपुर कर्चुलियान	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण।

5. परिशिष्ट–अ की कंडिका 27 लगायत 32 को विलोपित कर निम्नानुसार पढ़ा जावेः–

क.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में जो कार्य देखेगें
27.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा	1. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा 2. पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा
28.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा	1. पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश
29.	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश
30.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा
31.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा 2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा
32.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	1. पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा

शेष आदेश यथावत रहेंगे।

Sd/-

(राकेश मोहन प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्र0 1063 / रीवा, दिनांक 03 / 03 / 2025

दो–1–1 / 2000

प्रतिलिपिः–

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा / मउगंज / त्यौंथर / सिरमौर / हनुमना / मनगवां।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा / मउंगज / त्योंथर / सिरमौर / हनुमना / मनगवां। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सिस्टम ऑफिसर की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा को संबंधित न्यायाधीशगण के ई–मेल एड्रेस में भेजने हेतु।
5. फाईलिंग काऊंटर रीवा / मउगंज / त्यौंथर / सिरमौर / हनुमना / की ओर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

3/3/25

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रीवा (म0प्र0)